राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–682/2024

डॉ. राजेश हर्ष

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शशिकांत शर्मा, वरिष्ठ वैटनरी ऑफिसर, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में सीनियर वैटनरी ऑफिसर के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशु पालन, बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशु पालन, पाली में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के पिता 100 प्रतिशत अंधता से पीड़ित है, जिनकी सेवा के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि बीकानेर में भी रिक्त पद हैं, जिस कारण से अपीलार्थी का स्थानान्तरण बीकानेर से पाली किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी बीकानेर जिले में वर्ष 2014 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को 10 वर्ष पश्चात स्थानान्तरित किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।
4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने

शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. एस.कौरव** ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)